104

(11) 108

प्र सचिव उपाध्यक्ष...

संख्या–वे0आ0–2– 44 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0, शासन।

में,

प्रमुख सचिव / सचिव,
समस्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 17 जनवरी, 2014

य: उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

दय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति 08) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय को शासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–2- / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, दिनांक 18 मार्च,2011 एवं शासकीय पत्र या–वे0आ0–2–2105 / दस–54(एम)2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 संसूचित करते हुए उक्त शासकीय पत्रों में उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर कीय विभागों के लिये लिपिकीय संवर्ग का ढ़ॉचा निम्नवत् निर्धारित किया गया –

क्र0 सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता / प्रक्रिया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कनिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200 एवं रू0 2000	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा "सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण–पत्र" तथा हिन्दी / अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25 / 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो

Scanned by CamScanner

183

			इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2	वरिष्ठ सहायक	रू0 5200—20200 एवं रू0 2800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3	प्रधान सहायक	रू0 9300–34800 एवं रू0 4200	वरिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति द्वारा।
4	प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300—34800 एवं रू0 4600	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से।
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9300—34800 एवं रू0 4800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	रू0 15600—39100 एवं रू0 5400	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–03 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अथवा 06 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।

2— लिपिकीय संवर्ग के उपर्युक्त ढॉचे में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिये निर्धारित की गयी सेवावधि के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया गया और विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि विभाग में पदोन्नति के पद उपलब्ध हैं और पदोन्नति के लिये निर्धारित पोषक पद पर प्रोन्नति के लिये अर्ह कार्मिक की पोषक पद पर सेवावधि; प्रस्तर–1 में निर्धारित सेवावधि के अनुसार पूर्ण नहीं है तो उस दशा में पदोन्नति के लिये निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार शिथिलीकरण कर सेवावधि की गणना की जायेगी परन्तु सेवावधि की गणना के लिये यह शिथिलीकरण, नियुक्ति प्राधिकारी से एक स्तर के ऊपर के अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा :——

(i) वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक पद पर पदोन्नति हेतु कनिष्ठ सहायक के पद पर न्यूनतम् 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, परन्तु कनिष्ठ सहायक के पद से प्रधान सहायक के पद पर सीधे प्रोन्नति नहीं की जा सकेगी।

(ii) प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु कनिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक के पद पर सम्मिलित रुप से न्यूनतम् 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो,

(iii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सम्मिलित रुप से न्यूनतम् 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो,

(iv) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सम्मिलित रुप से न्यूनतम् 18 वर्ष

Scanned by CamScanner

182 106 (1)

की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो।

3— उपर्युल्लिखित, शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2011 तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

संख्या—वे0आ0—2— 44(1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :----

1— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1

2— कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

3— निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner